समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)
E-Mail- goddadlao@gmail.com

–: आम सूचना :–

दुमका–हॅसडीहा पथ (बिहार सीमा तक) निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरणी :–

1. <u>अधियाची निकाय एवं प्रस्तावित परियोजना का नाम–</u> कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, दुमका एवं दुमका–हॅसडीहा पथ (बिहार सीमा तक) निर्माण कार्य।

   सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन का अध्ययन दिनांक– 17.01.2017 से 16.02.2017 के बीच सोशल एक्शन फोर रूरल डबलवमेंट (शारदा), रामगढ़ के द्वारा किया गया। सामाजिक अध्ययन एवं उपलब्ध सामाजिक आर्थिक ऑकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

2. <u>परिचय</u>

   प्रस्तावित भू–अर्जन दुमका–हॅसडीहा पथ से बिहार बॉर्डर तक के वर्त्तमान सड़क को चौड़ीकरण और सशक्तिकरण करने हेतु है। यह सड़क आंशिक रूप से दुमका जिला और गोड्डा जिला में है। इस प्रस्तावित पथ की लम्बाई 50 किलोमीटर है, जिसमें 05 किलोमीटर का हिस्सा गोड्डा जिला के पौड़ैयाहाट अंचल में आता है। इस कार्य हेतु 1.63 एकड़ जमीन का प्रस्ताव है जो 05 किलोमीटर लम्बा है।

   भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 की धारा– 04 के आलोक में सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन का कार्य किया गया है।

3. <u>सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन का विवरण :–</u>

   i दुमका–हॅसडीहा पथ निर्माण के लिए प्रस्तावित भू–अर्जन भू–खण्ड का विवरण

   (1) दुमका–हॅसडीहा पथ निर्माण में स्थित सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण है।

   (2) पथ निर्माण हेतु अर्जित किये जाने वाली कुल भूमि– 1.63 एकड़ है।

   (3) इस प्रस्तावित पथ की लम्बाई 50 किलोमीटर है, जिसमें 05 किलोमीटर का हिस्सा गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट अंचल में आता है।

   (4) पथ निर्माण के प्रस्तावित भू–अर्जन के दोनो तरफ कुछ दूरी पे मकान और दुकान पाए गए है। पथ निर्माण के लिए प्रस्तावित भू–अर्जन वाले भू–खण्ड मुख्यतः खाली है तथा किसी प्रकार का आवासीय या व्यवसायिक निर्माण नहीं पाया गया। लेकिन

यह पाया गया कि कुछ कच्चे/पक्के मकान इत्यादि आंशिक/पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे।

(5) प्रस्तावित दुमका–हॅसडीहा पथ के आस–पास की जमीन खेती युक्त जमीन है तथा मुख्यतः खाली है। प्रस्तावित सड़क के दोनों तरफ पेड़ पाए गए है, जिनका इस पथ चौड़ीकरण में नुकसान हो सकते है।

ii दुमका–हॅसडीहा पथ निर्माण के लिए प्रस्तावित भू–अर्जन भू–खण्ड का विवरण

दुमका–हॅसडीहा पथ निर्माण में स्थित सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण है पथ निर्माण हेतु अर्जित किये जाने वाली कुल भूमि– 1.63 एकड़ है। इस प्रस्तावित पथ की लम्बाई 50 किलोमीटर है, जिसमें 05 किलोमीटर का हिस्सा गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट अंचल में आता है।

परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या (खतियानी)	विवरण	प्रभाव का प्रकार	अभियुक्ति
2	तिलाटांड़ मौजा ग्राम पंचायत– ठाकुरनहान	प्रत्यक्ष	0.15 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जाना है।
4	कमराडोल मौजा ग्राम पंचायत– सलैया	प्रत्यक्ष	1.48 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जाना है।
250 मकान मालिक	अनुमानित मकान मालिक तिलाटांड़ एवं कमराडोल मौजा	अप्रत्यक्ष	आवागमन की सुविधा में वृद्धि जिला में एवं अन्य जिलों से आवागमन की सुविधा में वृद्धि नजदीकी शहर आपस में जुड़ने से विभिन्न सेवाओं में सहायक।

iii प्रस्तावित सड़क निर्माण भू–अर्जन की होने वाले फायदे का आकलन।

दुमका–हॅसडीहा पथ निर्माण वत्तर्मान में स्थित सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण है। पथ निर्माण हेतु अर्जित किये जाने वाली कुल भूमि– 1.63 एकड़ है। इस प्रस्तावित पथ की लम्बाई 50 किलोमीटर है, जिसमें 05 किलोमीटर का हिस्सा गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट अंचल में आता है।

(1) ट्रैफिक जाम परिस्थिति से समुदाय को निजात प्राप्त हो जाएगी तथा अंतर जिला और अंतर राज्य का यातायात सुचारू रूप से व्यवस्थापित हो जाएगी।

(2) समुदाय को बेहतर यातायात का लाभ मिलेगा तथा नजदीक के शहरो के लिए बेहतर संयोजकता बढ़ेगी।

(3) शिक्षा स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं की पहॅुच बढ़ेगी।

(4) आस–पास के जमीन की आर्थिक मूल्य में काफी वृद्धि होगी।

(5) रैयत के लिए बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे।

ज्ञापांक : 879 /भूअ0 दिनांक 22/07/2017

प्रतिलिपि – 1. अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रभावित क्षेत्रों में आम सूचना को प्रदर्शित/चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को संबंधित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को नाम/पदनाम के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं प्राप्ति रसीद जिला भू–अर्जन कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

3. जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को दो दैनिक समाचार पत्रों के क्षेत्रीय संस्करण में सुस्पष्ट प्रकाशित कराते हुए प्रकाशित पत्र की पेपर कटिंग जिला भू–अर्जन शाखा, गोड्डा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

5. अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/अपर समाहर्त्ता, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि आम सूचना को अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रदर्शित/चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

6. कार्यपालक अभियंता, आर0सी0डी0 रोड़ प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

अपर समाहर्त्ता–सह–समाहर्त्ता,
गोड्डा (भू–अर्जन, 5000 हेक्टेयर)।

ज्ञापांक : 879 /भूअ0 दिनांक : 22/07/2017

प्रतिलिपि – 1. आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता–सह–समाहर्त्ता,
गोड्डा (भू–अर्जन, 5000 हेक्टेयर)।

(6) दुमका–हॅसडीहा पथ निर्माण में करीब 24 भू–खण्डों का भू–अर्जन होगा, जिसमें मुख्यतः किसी भी प्रकार का आवासीय तथा व्यवसायिक निर्माण नहीं पाया गया किन्तु कुछ कच्चे/पक्के मकान आंशिक/पूर्ण रूप से प्रभावित हो सकते है।

iv सामाजिक प्रभाव प्रबंधन प्लान।

क्र0 सं0	प्रभाव	अल्पीकरण योजना
1	4–5 प्रभावित परिवार का 10 कच्चा/पक्का मकान आंशिक/पूर्ण रूप से प्रभावित हो सकता है। जिनके उचित मुआवजा की व्यवस्था किया जा सकता है।	प्रभावित परिवारों को सर्वे, मुआवजा की राशि, मुआवजा भुगतान करने का तरीका की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के बिचोलिऐं का हस्तक्षेप की रोकथाम की सुनिश्चिता प्रशासन के द्वारा किया जाए।
2	पथ के दोनो तरफ के पेड़ को नुकसान होगा।	नए पेड़ लगाने के व्यवस्था की जाए और कार्य के दौरान आप–पास के खेतो तथा जमीन को होने वाले नुकसान को कार्य समाप्ति के पश्चात ठीक किया जाए।
3	कार्य के दौरान कचरा जमा होने के संभावना है।	कार्य समाप्ति के बाद सभी कचरा को कार्य स्थल से हटा लिया जाए, साथ ही साथ कार्य के दौरान बनने वाले डायवर्सन से होने वाले खेतो की नुकसान की निस्तारण कार्य समाप्ति के बाद किया जाए।

रैयत इस परियोजना हेतु भू–अर्जन कानून के तहत सही मुआवजा की मांगपूर्ति पर अपनी भूमि देने को तैयार है।

ग्रामीणों के उपर इस परियोजना का न्यूनतम नाकारात्मक प्रभाव को देखते हुए प्रत्याशित दीर्घकालीन सामाजिक एवं आर्थिक लाभ तथा रैयत के साथ बातचीत के आधार पर इस प्रस्तावित दुमका–हॅसडीहा पथ से बिहार बोर्डर तक पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण हेतु भू–अर्जन की सिफारिश की जाती है।

अपर समाहर्त्ता–सह–समाहर्त्ता,
गोड्डा (भू–अर्जन, 5000 हेक्टेयर)।